कि चेरापूंजी के अन्दरूनी और आसपास के क्षेत्र जहां अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यंत अल्प जल अवधारक क्षमता वाले अत्यधिक अवक्रमित क्षेत्र हैं। अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक अनावृत्त हैं और मानसून के दौरान होने वाली वर्षा धारा के रूप में बह जाती है फलस्वरूप बहुत ही कम पानी जमीन में रुक पाता है। चेरापूंजी के अन्दरूनी और आसपास के क्षेत्र स्वायतशासी जिला परिषद अथवा निजी व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन हैं। इस क्षेत्र के आसपास राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कोई वन क्षेत्र नहीं है।

मेघालय राज्य सरकार ने बताया है कि जिला परिषदों और अलगअलग व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित वन क्षेत्र में झूम खेती किए जाने के अलावा इस क्षेत्र में अवैज्ञानिक, अनियंत्रित और भारी वन नाशन हो रहा है। चेरापूंजी के मामले मे यह अवक्रमण वहां की स्थलाकृति एवं वहां होने वाली भारी वर्षा (10001500 सें.मी. प्रति वर्ष) के कारण और भी बढ़ जाता है। इससे ऊपरी भूमि आवरण बह जाता है जिससे उस क्षेत्र की पुन: उत्पत्ति क्षमता और उत्पादकता को क्षति पहुंचती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्नगत क्षेत्र एक दुर्गम भूभाग है और वहां पर मृदा आवरण बहुत कम गहरा है, इसमें पौधरोपण करना एक अत्यंत कठिन कार्य है तथापि, बंजर भूमियों को हरा भरा बनाने और अवक्रमित वनस्पतियों आदि में सुधार करने के लिए मेघालय वन विभाग के सामाजिक वानिकी खंड की स्थापना की गई है। प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराके और वन उगाने, उनके अनुरक्ष और सुरक्षा हेतु सहायता अनुदान प्रदान करके वनीकरण की गतिविधियों में जिला परिषदों को भी शामिल किया गया है।

हिन्दुकुश पर्वत पर गोष्ठी

3836. **श्री सोमपाल:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री शारदा महन्ती:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में हिन्दुकुश पर्वत की पारिस्थितिकी को सुधारने और इस पर्वत को नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता पर दो दिवसीय गोष्ठी के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में उठाए गए मुद्दों और सुझाए गए निदानात्मक उपायों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। हिमालय पर्यावरण न्यास द्वारा 2728 जून, 1994 को नई दिल्ली में हिमालय संरक्षण कार्यक्रम, सरकार जनता की भागीदारी पर एक दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था।

(ख) सेमिनार में, प्रतिभागिओं ने विचार व्यक्त किए कि सरकारों और जनता को शामिल करके हिमालय क्षेत्र में संरक्षण उपाय शुरू करने की आवश्यकता है। पर्वतारोहियों, पैदल यात्रियों तथा उत्साही दौरों और उनसे संबंधित कार्यों में लगे लोगों द्वारा हिमालय के अद्वितीय पर्यावरण और एशियाई समूह की सुरक्षा के लिए यूनियन इण्टरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन द्वारा अपनाए गए "दि हिमालयन कोड आफ कण्डक्ट" को लोकप्रिय बनाने पर भी चर्चा की गई।

(ग) सेमिनार में चर्चा किए गए मुद्दे सरकार के ध्यान में हैं। गंगोत्री संरक्षा परियोजना जिसको हिमालयी पर्यावरण न्यास द्वारा प्रायोजित किया गया और पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई, में शौचालयों के निर्माण, कूड़ादानों, इनसीनेटरों की व्यवस्था करने तथा क्षेत्र को साफ रखने के लिए जनजागरूकता पैदा करने जैसी गतिविधियों के जरिये पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की कल्पना की गई।

केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदू[illegible]

3837. **श्री सोमपाल:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री शारदा महन्ती:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 1994 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत सरकार के महासागर विकास विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि केरल का समुद्र तट भारत का सर्वाधिक प्रदूषित समुद्र तट है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) केरल में तटीय प्रदूषण का समाचार महासागर विकास विभाग द्वारा प्रायोजित तटीय महासागर मानीटरी और पूर्वानुमान प्रणाली नामक परियोजना की रिपोर्ट पर आधारित था। तथापि, उक्त समाचार में जिन बातों का जिक्र किया गया था वे तटीय महासागर मानीटरी और पूर्वानुमान प्रणाली रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों पर खरे नहीं उतरते हैं। "दि टाइम्स आफ इंडिया" के समाचार में बताया गया है कि कोचि पश्च सागर के सामने से लिए गए तलछटों में विषैले कैडमियम और सीसे की अत्यधिक मात्रा पाई गई है। तटीय महासागर मानीटरी और पूर्वानुमान प्रणाली के आंकड़ों से पता चलता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह पर समुद्री पर्यावरण में कैडमियम और सीसे की अधिक मात्रा पायी गई है। ये स्तर संकट सूचक नहीं हैं क्योंकि इन तत्वों की इससे अधिक मात्रा आस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में भी पायी जाती है और क्योंकि अध्ययन में स्पष्टत: बताया गया है कि इन धातुओं का स्रोत मानवजन्य नहीं होता है बल्कि संभवत: भूवैज्ञानिक होता है। यह जरूरी नहीं है कि तलछटों में कैडमियम और सीसे का सान्द्रण जैवआवर्धन के लिए उपलब्ध हो, जिसका तात्पर्य है कि ये तत्व झींगा जैसे समुद्री जीवों में अंतरणीय नहीं होते हैं। इसके अलावा, इन तत्वों हेतु समुद्री जीवों के विश्लेषण से पता लगा है कि इन धातुओं का सांद्रण 0.5 अंश प्रति बिलियन की सीमा तक बहुत ही कम होता है। अत: तलछटों में सीसे और कैडमियम के अधिक सांद्रण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है।

समाचार में कोचि पश्च सागर और समीपवर्ती सागर में अमोनिया और फास्फेट के उच्च स्तरों का भी उल्लेख है। यह भी तटीय महासागर मानीटरी और पूर्वानुमान प्रणाली रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के विपरीत है। तटीय महासागर मानीटरी और पूर्वानुमान प्रणाली रिपोर्ट में बताया गया है कि कोचि के तटीय सागर में पोषक सांद्रण (अमोनिया और फास्फेट) की अल्प वृद्धि होने का पता चलता है। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार गुजरात के तट पर केरल तट से अमोनिया, नाइट्रोजन और कुल फास्फेट 15 गुना अधिक, महाराष्ट्र तट पर 6 और 7 गुना अधिक, आंध्र प्रदेश तट पर 14 और 2 गुना अधिक तथा पश्चिम बंगाल में 3 और 5 गुना अधिक हैं। अत: यह कहना कि केरल का समुद्री तट भारत में अत्यंत प्रदूषित समुद्री तट है, सही नहीं है क्योंकि अध्ययन के निष्कर्ष जिन पर यह समाचार आधारित है, इसके विपरीत तथ्य प्रस्तुत करते हैं ।

(ग) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल और तलछटों में भारी धातुओं की विद्यमानता का पता लगाने के लिए कोचि, कायमकुलम और कालीकट समुद्री अंत: तट और समीपवर्ती तट की मानीटरी करने के लिए कदम उठाए हैं।

Ban on plastic packaging materials

3838. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that use of plastic packaging materials not ecofriendly have been totaly banned by the developed countries in the west;

(b) whether exporters using such packaging materials not ecofriendly from India are being asked to take back the goods so exported by Germany and elsewhere in the west;

(c) whether Government have not taken any concrete steps to introduce alternative to plastic packaging both for domestic and foreign use which would be ecofriendly in all respect; and

(d) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIROMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Except in very few instances, the developed countries have not banned the use of any plastic packaging materials. They only emphasise the need to reuse or recycle the plastic used in packaging, since discarded plastic packaging is non biodegradable.

(b) According to the German Packaging Ordinance, the manufacturers and distributors of packaged commodities irrespective of their origin are required to take back used packages and reuse or recycle it. Since it is not economically feasible for the Indian exporters to take back used packages for reuse or recycling, they can seek assistance from either their German buyers or third parties in Germany.

(c) and (d) Most plastics including polyester and Polyethylene are recyclable. Technology is advancing every year in recycling systems. The Government of India, under the Eco-lebelling Scheme has notified the draft criteria for plastic